

भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2812
उत्तर देने की तारीख : 06.08.2025

अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा

2812. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा देश में अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तर्ज पर अल्पसंख्यकों के लिए और अधिक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में पिछले दस वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों के लिए स्थापित विश्वविद्यालयों की संख्या, यदि कोई हो, कितनी है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरन रीजीजू)

(क): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं, जिनमें विभिन्न शैक्षिक सशक्तिकरण योजनाएँ, जैसे (i) मैट्रिक-पूर्व, (ii) मैट्रिकोत्तर और (iii) मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्तियाँ शामिल हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू की जाती हैं। तीनों योजनाओं के अंतर्गत, कुल छात्रवृत्तियों का 30% लड़कियों के लिए निर्धारित है।

शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना (पीएम-यूएसपी) के अंतर्गत तीन घटक योजनाओं को लागू कर रहा है, जिनके नाम हैं (i) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (CSSS), (ii) जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए SSS) (विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों के लिए) और (iii) केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना (CSIS)। पीएम-यूएसपी के तहत, छात्रवृत्ति के 50% स्लॉट छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। नवंबर 2024 में, भारत सरकार ने पीएम विद्यालक्ष्मी, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है, जिसमें योजनाबद्ध दिशानिर्देशों के अधीन, शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (QHEIs) में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को गिरवी-मुक्त और गारंटी-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदायों से लड़कियों सहित सभी छात्र इस योजना से लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) और (ग): चूँकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए राज्य सरकारें भी अपने-अपने राज्यों में उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहल कर रही हैं। वर्तमान में, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष रूप से किसी नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।